



**The Bihar Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,
2011**

Act 15 of 2011

Keyword(s):
Underground, Pipe Line, Competent Authority

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1933 (श0)
(सं0 पटना 404) पटना, सोमवार, 8 अगस्त 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 अगस्त 2011

सं० एल0जी0-1-18/2011/लेज-162—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 4 अगस्त 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 15, 2011]**बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011**

प्रस्तावना।—बिहार राज्य में जल, गैस या अन्य सामग्री ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन तथा उससे सम्बन्धित या अनुषंगी विषयों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**—(1) यह अधिनियम बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएँ।**—इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को करने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकार;

(ख) "निगम" से अभिप्रेत है किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 1956 का 1) के अधीन स्थापित एवं निर्बंधित कोई निगमित निकाय;

(ग) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बने नियम के अधीन विहित;

(घ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ङ) "भूमिगत पाइप लाईन" से अभिप्रेत है भू-सतह के डेढ़ मीटर से अन्धून गहराई में बिछाई गई पाईप लाईन।

3. **भूमि उपयोग-कर्ता के अधिकार अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन।**—(1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि लोक-हित में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल, गैस या अन्य सामग्री ले जाना आवश्यक है, एक भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जा सकेगी और ऐसी पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ किसी भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन आवश्यक होगा, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन की अपनी इस इच्छा को घोषित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण दिया रहेगा।

(3) सक्षम प्राधिकार, ऐसे स्थानों पर एवं रीति से, जो विहित की जा सकेंगी, अधिसूचना का सार प्रकाशित कराएगा।

(4) भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत होने के 21 दिनों के अन्दर उक्त पाईप लाईन बिछाए जाने में आपत्ति कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन प्रत्येक आपत्ति लिखित रूप में सक्षम प्राधिकार के समक्ष की जाएगी जिसमें उसका आधार उल्लिखित रहेगा और सक्षम प्राधिकार आपत्तिकर्ता को स्वयं या उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी आपत्तियों की सुनवाई और आगे ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के उपरान्त आदेश पारित कर आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

4. **भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन की घोषणा।**—(1) जहाँ धारा-3 की उप-धारा (4) के अधीन उसमें यथा विहित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकार के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की जाय अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया जाय, वहाँ तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा घोषित करेगा कि भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार की लोक हित में आवश्यकता है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग-कर्ता का अधिकार, सभी अवधारणों से मुक्त, राज्य सरकार में निरपेक्षतः निहित हो जाएगा।

(3) उप-धारा (2) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुये भी, राज्य सरकार, ऐसी बातों एवं शर्तों पर, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, लिखित आदेश के द्वारा, निदेशित करेगी कि भूमिगत पाईप लाईन बिछाने संबंधी भूमि उपयोग-कर्ता का अधिकार राज्य सरकार में निहित होने के स्थान पर, सभी अवधारणों से मुक्त, भूमिगत पाईप लाईन बिछाने वाले प्रस्तावक निगम में निहित होगा।

5. **प्रवेश और सर्वेक्षण की शक्ति।**— धारा-4 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा इसके सेवकों और कामगारों के लिए निम्नलिखित कार्य विधिपूर्ण होगा।—

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी भूमि में प्रवेश कर सर्वेक्षण और सतहें लेना;

(ख) अधःस्थलीय मिट्टी में खुदाई या छेदन करना;

(ग) अभीप्सित कार्य आरम्भ करना;

- (घ) निशान लगाते हुए भूमि का सतहीकरण, चौहद्दियाँ रेखांकित करना तथा खन्दक की कटाई करना;
- (ङ) जहाँ सर्वेक्षण कार्य नहीं पूरा किया गया हो, सतहें नहीं ली गयी हों, चौहद्दियाँ और रेखाएँ नहीं खींची गई हों, वहाँ लगी किसी फसल, चहारदीवारी अथवा जंगल के किसी भाग की कटाई करना तथा हटाना;
- (च) अन्य सभी आवश्यक कार्य करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त भूमि में भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जा सकती है अथवा नहीं;
- परन्तु कि, इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय ऐसा व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति का कोई सेवक, उस भूमि को यथा संभव कम-से-कम, नुकसान और क्षति पहुँचाएगा।

6. भूमिगत पाईप लाईन का बिछाया जाना।—(1) जहाँ किसी भूमि में उपयोग-कर्ता का अधिकार धारा-4 के अधीन राज्य सरकार अथवा निगम, में निहित हो गया हो, वहाँ :-

(i) यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम, द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा उसके सेवक के लिए उस भूमि में प्रवेश करना और भूमिगत पाईप लाईन बिछाना अथवा उस पाईप लाईन को बिछाने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्रवाई करना विधिपूर्ण होगा ;

परन्तु निम्नलिखित के अधीन उक्त भूमि में कोई भी भूमिगत पाईप लाईन नहीं बिछाई जा सकेगी:-

- (क) ऐसी भूमि जो धारा-3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने के ठीक पहले से आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवहृत हो रही थी, अथवा
- (ख) ऐसी कोई भी भूमि जो आवासीय मकान के सटे हो;

(ii) ऐसी भूमि सिर्फ भूमिगत पाईप लाईन बिछाने और ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के रख-रखाव, जाँच-परख, मरम्मती, बदलाव अथवा उसे हटाने अथवा उपर्युक्त प्रयोजन में से किसी के लिए अथवा ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के उपयोग में से किसी आवश्यक कार्य के लिए उपयोग में लायी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (i) के परन्तुक में निर्देशित किसी विषय के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाय तो उक्त विवाद सक्षम प्राधिकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7. निरीक्षण के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति।—किसी भूमिगत पाईप लाईन के रख-रखाव, जाँच-परख, मरम्मती, बदलने या हटाने अथवा उपर्युक्त किसी प्रयोजन से माप लेने अथवा कोई जाँच करने के लिए राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भूमि के दखलकार को समुचित सूचना देने के उपरान्त वैसे कामगारों तथा सहायकों, जो आवश्यक हों, के साथ उसमें प्रवेश कर सकता है ;

परन्तु, जहाँ आपात् स्थिति हो, ऐसी कोई सूचना देना आवश्यक न होगा।

8. भूमि के उपयोग के संबंध में निर्बन्धन।—(1) धारा-4 की उप-धारा (1) के अधीन जिस भूमि के सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गई है, उसका स्वामी अथवा दखलकार भूमि को उस प्रयोजन से उपयोग करने का हकदार होगा जैसा धारा-3 की उप धारा-(1) के अधीन घोषणा जारी होने के ठीक पूर्व उक्त भूमि का उपयोग हो रहा था ;

परन्तु, धारा-4 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा जारी करने के पश्चात् भू-स्वामी या उसका दखलकार;

- (i) किसी भवन अथवा किसी अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।
- (ii) किसी तालाब, कुआँ, जलाशय या बांध का निर्माण या खुदाई नहीं करेगा, अथवा
- (iii) उस भूमि पर कोई पेड़ नहीं लगाएगा।

(2) भू-स्वामी अथवा उसका दखलकार उस भूमि पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे भूमिगत पाईप लाईन को किसी भी प्रकार से कोई क्षति पहुँचे अथवा कोई क्षति होने की सम्भावना हो।

9. मुआवजा।—(1) धारा-5, 6 अथवा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के क्रम में भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को क्षति, हानि या चोट पहुँचने पर राज्य सरकार अथवा निगम को उस व्यक्ति को उक्त क्षति, हानि, या चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा, जिसकी राशि का विनिश्चय प्रथमतः सक्षम प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। मुआवजे की रकम का विनिश्चय निम्नलिखित के कारण हुये नुकसान या हानि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा:-

- (i) उक्त भूमि पर पेड़ अथवा लगी फसल, यदि कोई हो, को हटाया जाना;
- (ii) जिस भूमि में भूमिगत पाईप लाईन बिछाई गयी है उसका ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या दखल में स्थित अन्य भूमियों से विलगाव अथवा
- (iii) ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति अथवा किसी आमदनी का किसी भी अन्य रीति से क्षतिग्रस्त होना।

(2) जहाँ किसी भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार राज्य सरकार अथवा निगम में निहित हो गया हो, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम, मुआवजा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, धारा-4 की उप-धारा (1) के तहत घोषणा के प्रकाशन की तिथि को उस भूमि के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत पर परिगणित मुआवजा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कथित तिथि को भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण सक्षम प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण।—“बाजार मूल्य” से अभिप्रेत है वह मूल्य जिसका विनिश्चय यथा समय-समय पर संशोधित बिहार भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति 2007 में यथा उल्लिखित विधियों से किया गया हो।

बाजार मूल्य के अतिरिक्त 30 प्रतिशत तोषण, बिहार भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति-2007 के प्रावधानों के तहत निर्धारित दरों पर, देय होगा, परन्तु जहाँ भू-स्वामी लिखित रूप में अपनी सहमति दे वहाँ तोषण राशि 30 प्रतिशत के बदले 60 प्रतिशत होगी।

(3) यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य किसी पक्षकार को स्वीकार्य न हो तो तीस दिनों के भीतर व्यथित व्यक्ति भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत यथा परिभाषित न्यायालय, के समक्ष आवेदन देगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

10. **मुआवजे का निक्षेप और भुगतान।**—(1) धारा-9 के अधीन निर्धारित मुआवजे की राशि, यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निगम, द्वारा सक्षम प्राधिकार के पास यथा विहित समय और रीति के अनुसार जमा की जाएगी।

(2) यदि उप धारा-(1) के अधीन विहित समय पर मुआवजे की राशि जमा नहीं की गई हो तो, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम, जिस तिथि को मुआवजा जमा हो जाना चाहिए था उससे जमा होने की यथार्थ तिथि तक प्रतिवर्ष नौ प्रतिशत की दर से उसपर ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) उप धारा-(1) के अधीन मुआवजे की राशि जमा करने के बाद, शीघ्रातिशीघ्र, सक्षम प्राधिकार, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम की ओर से, मुआवजे का भुगतान सम्बद्ध व्यक्ति को करेगा।

(4) यदि मुआवजा अथवा अतिरिक्त मुआवजा राशि या उसके किसी भाग के प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो सक्षम प्राधिकार उस विवाद को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत यथा परिभाषित न्यायालय, के पास भेज देगा और उसपर न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

11. **जिस अवधि के भीतर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।**—सक्षम प्राधिकार धारा-9 के अधीन मुआवजे का भुगतान, धारा-3 के अधीन अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों के भीतर करेगा और यदि मुआवजे का भुगतान उक्त अवधि के भीतर नहीं किया गया हो, भूमि के उपयोग-कर्ता के अधिकार के अर्जन की सारी कार्यवाही व्यपगत हो जाएगी।

स्पष्टीकरण।—इस धारा में निर्देशित दो वर्षों की अवधि की गणना करने में वह अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी, जिसके दौरान न्यायालय के आदेश द्वारा उक्त घोषणा के अनुसरण में, कोई कार्यवाई या कार्यवाही स्थगित कर दी गयी हो।

12. **अत्यावश्यक मामलों में विशेष शक्तियाँ।**—(1) आवश्यकता के मामलों में, जब कभी राज्य सरकार ऐसा निदेशित करे, सक्षम प्राधिकार, यद्यपि कोई पंचाट नहीं किया गया हो, धारा-3 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन बीत जाने पर भू-स्वामी की उस भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन कर सकेगा, जो ऐसे भूमिगत पाईप लाईन बिछाए जाने के लिए आवश्यक हो। तदुपरान्त उक्त भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन अवभार से मुक्त रूप में पूर्णतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगा;

परन्तु, सक्षम प्राधिकार इस उप-धारा के अधीन किसी भी भूमि के दखलकार को, अपने ऐसा करने की इच्छा से कम-से-कम 48 घंटे की सूचना, अथवा ऐसी दीर्घकालीन सूचना, जो भूमि के दखलकार को उस भूमि से अपनी चल सम्पत्ति बिना किसी अनावश्यक असुविधा के हटा लेने के लिए पर्याप्त हो, दिए बिना किसी भूमि को या उसके भाग को अपने कब्जे में नहीं लेगा।

(2) पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन प्रत्येक मामले में, सक्षम प्राधिकार, भूमि को अपने कब्जे में लेने के पहले, हितबद्ध व्यक्तियों को इस भूमि पर लगी फसल और वृक्षों (यदि कोई हो) के लिए तथा अकस्मात् बेदखल करने से किसी अन्य नुकसान के लिए मुआवजे का प्रस्ताव देगा और ऐसा प्रस्ताव स्वीकार्य न होने की दशा में उस फसल और वृक्षों का मूल्य और ऐसी अन्य नुकसान की राशि इसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन भूमि के लिए मुआवजा देने के लिए स्वीकृत की जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने के पहले सक्षम प्राधिकार, उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :-

(क) ऐसी भूमि के लिए हित-बद्ध और उसके हकदार व्यक्ति को उसके द्वारा यथा आकलित मुआवजे का 80 प्रतिशत भुगतान करेगा, और

(ख) उक्त राशि का उसे भुगतान करेगा जब तक कि धारा-9 में उल्लिखित एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा उसे रोका न जाए और जहाँ सक्षम प्राधिकार को उस प्रकार रोका जाता हो वहाँ धारा-9 के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसा कि उस धारा के अधीन मुआवजे के भुगतान के लिए होते हैं।

(4) उप-धारा (3) के अधीन भुगतान की गयी अथवा जमा की गई राशि को धारा-9 के अधीन निविदत्त करने हेतु अपेक्षित मुआवजे की राशि विनिश्चित करते समय ध्यान में रखा जाएगा और जहाँ ऐसी भुगतान की गयी या जमा की गयी राशि सक्षम प्राधिकार के द्वारा धारा-9 के तहत मुआवजा पंचाट से अतिरेक होती है, अतिरेक राशि, यदि सक्षम प्राधिकार के पंचाट की तिथि से तीन महीनों के अन्दर वापस नहीं की जाती है, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(5) राज्य सरकार की राय में, जिस किसी भूमि के मामले में उप-धारा (1) के प्रावधान लागू हों, राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि धारा-3 के प्रावधान उस भूमि के मामले में लागू नहीं होंगे और यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है तो धारा-4 के अधीन उस भूमि के मामले में, धारा-3 के अधीन अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के बाद किसी भी समय एक घोषणा जारी की जा सकेगी।

13. **सक्षम प्राधिकार को व्यवहार न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ प्राप्त होना।**—इस अधिनियम के लिए, सक्षम प्राधिकार को निम्नलिखित विषयों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के समय व्यवहार न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी यथा :-

- (क) किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना एवं उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;
- (ख) किसी दस्तावेज की खोज और उपस्थापन की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पर साक्ष्य अभिलिखित करना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक-अभिलेख की माँग करना;
- (ङ) साक्षियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना।

14. **सद्भावना से की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण।**—इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी अथवा निर्गत की गई नियमावली अथवा अधिसूचना के अनुसरण में किसी बात के लिए, जो सद्भावना से की गयी अथवा किए जाने के लिए अभीप्सित हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य वैधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

15. **अधिकारिता वर्जन।**—किसी व्यवहार न्यायालय को ऐसे किसी विषय के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकार इस अधिनियम के अधीन सशक्त हो, किसी वाद को ग्रहण करने अथवा किसी विवाद का विचारण करने अथवा कोई अंतरिम निषेधादेश पारित करने की अधिकारिता नहीं होगी।

16. **सजा।**—(1) जो भी इस अधिनियम की धारा-5, 6 एवं 7 के अधीन प्राधिकृत किसी कार्य को करने में किसी व्यक्ति को जान-बूझकर बाधित करता है अथवा धारा-5 के अधीन खोदी गयी किसी खाई को भर देता है या लगाये गये निशान को मिटा देता है, नुकसान पहुँचाता है, अथवा विस्थापित कर देता है, अथवा धारा-8 की उप धारा-(1) के प्रावधानों के अधीन निषिद्ध कुछ भी जान-बूझकर करता है, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ाई जा सकेगी, अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जो भी बिछाई गई भूमिगत पाईप लाईन को जान-बूझकर हटाता, विस्थापित करता, नुकसान पहुँचाता अथवा बर्बाद करता है, कम से कम एक वर्ष की अवधि किन्तु जिसे तीन वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, सक्षम कारावास की सजा से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

17. **कठिनाई दूर करने की शक्ति।**—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा वैसा उपबंध कर सकेगी अथवा ऐसा निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं हो, और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों।

18. **नियम बनाने की शक्ति।**—(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बने प्रत्येक नियम, शीघ्रातिशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन पटल पर रखा जायेगा, जब वह सत्र में हो।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

8 अगस्त 2011

सं० एल०जी०-1-18/2011-163/लेज०—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2011 को अनुमत बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 15, 2011]
**THE BIHAR UNDERGROUND PIPELINES
 (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2011**
 An
 Act

Preamble.—To provide for the acquisition of right of user in land for laying underground pipelines for carrying of water, gas or other material in the State of Bihar and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty two year of the Republic of India as follows :-

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. *Definitions.*—In this Act, unless otherwise required in the context,-

(a) "Competent authority" means any person or authority authorized by the State Government, by notification in the Official Gazette, to perform the functions under this Act;

(b) "Corporation" means any body corporate established under any Central or State Act or a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956);

(c) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(d) "State Government" means the Government of the State of Bihar;

(e) "Underground pipeline" means an underground pipeline laid at a depth of not less than one and a half meter of the land surface.

3. *Publication of notification for Acquisition.*— (1) Whenever it appears to the State Government that it is necessary in the public interest for the carrying out water, gas or other material from one locality to another locality, an underground pipeline may be laid and that for the purpose of laying such underground pipelines, it is necessary to acquire the right of user in any land under which such underground pipelines may be laid, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire the right of user therein.

(2) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

(3) The Competent authority shall cause the substance of the notification to be published at such places and in such manner, as may be prescribed.

(4) Any person interested in the land may, within a period of twenty-one days from the date of the notification under sub-section (1), object to the laying of the underground pipelines.

(5) Every objection under sub-section (4) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by his legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as it deems necessary, by order, either allow or reject the objections.

(6) Every order made by the competent authority under sub-section (5) shall be final.

4. *Declaration of acquisition of right of user in Land.*—(1) Where no objections under sub-section (4) of section 3 have been made to the competent authority within the

period specified therein or where the competent authority has passed final order, the competent authority shall declare, by notification in the Official Gazette, that the right of user in the land for laying the underground pipelines is required for public purpose.

(2) On publication of the declaration under sub-section (1), the right of user in the land specified therein shall vest absolutely in the State Government, free from all encumbrances.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may, on such terms and conditions, as it may think fit, direct by order in writing, that the right of user in the land for laying the underground pipelines shall, instead of vesting in the State Government, vest in the corporation proposing to lay the underground pipelines, free from all encumbrances.

5. *Power to enter and survey.*-On publication of the declaration under sub-section (1) of section 4, it shall be lawful for any person authorized by the State Government or the corporation and its servants and workmen,-

- (a) to enter upon, survey and take levels of any land specified in the notification;
- (b) to dig or bore into the sub-soil;
- (c) to set out the intended line of work;
- (d) to mark such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches;
- (e) to cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle, where survey is not completed, levels not taken, boundaries and lines are not marked; and
- (f) to do all other acts necessary to ascertain whether underground pipelines can be laid under the land;

Provided that while exercising any power under this section, such person or any servant of such person shall cause as little damage or injury as possible to such land.

6. *Laying underground pipelines.*-(1) Where the right of user in any land has been vested in the State Government or corporation under section- 4-

(i) It shall be lawful for any person authorized by the State Government or the corporation, as the case may be, and its servants to enter upon the land and lay underground pipelines or to do any other act necessary for laying of such underground pipelines:

Provided that no underground pipelines shall be laid under:-

- (a) any land which immediately before the date of the notification under sub-section (1) of section-3 was used for residential purpose; or
- (b) any land which is appurtenant to a dwelling house;

(ii) Such land shall be used only for laying underground pipelines and maintaining, examining, repairing, altering or removing any such underground pipelines or for doing any other act necessary for any of the aforesaid purposes or for the utilization of such underground pipelines.

(2) If any dispute arises with regard to any matter referred to in the proviso to clause (i) of sub-section (1), the dispute shall be referred to the competent authority, whose decision thereon shall be final.

7. *Power to enter into land for inspection.*- For maintaining, examining, repairing, altering or removing any underground pipeline, or measurement for any of the aforesaid purpose, or for making any inspection, any person authorized in this behalf by the State Government or the corporation, may after giving reasonable notice to the

occupier of the land, enter therein with such workmen and assistants as may be necessary:

Provided that where an emergency exists, no such notice shall be necessary.

8. *Restrictions regarding use of land.*-(1) The owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub-section (1) of section-4, shall be entitled to use the land for the purpose for which such land was put to use immediately before the date of the notification under sub-section (1) of section-3:

Provided that such owner or occupier shall not, after the declaration under sub-section (1) of section-4-

- (i) construct any building or any other structure;
- (ii) construct or excavate any tank, well, reservoir or dam; or
- (iii) plant any tree on that land.

(2) The owner or occupier of the land shall not do any act which may cause or likely to cause any damage in any manner whatsoever to the underground pipeline.

9. *Compensation.*- (1) Where in exercise of the powers conferred under sections-5, 6 or 7, any damage, loss or injury is sustained by any person interested in the land, the State Government or the corporation shall be liable to pay compensation to such person for such damage, loss or injury, the amount of which shall be determined by the competent authority in the first instance. While determining such compensation, it shall have due regard to the damage or loss sustained by reason of-

- (i) the removal of trees or standing crops, if any, on the land;
- (ii) the temporary severance of the land under which the underground pipeline has been laid from other lands belonging to, or in the occupation of such person; or
- (iii) any injury to any other property, whether movable or immovable or the earnings of such person caused in any other manner.

(2) Where the right of user of any land has vested in the State Government or the corporation, the State Government or the corporation, as the case may be, shall be liable to pay, in addition to compensation, if any, compensation calculated at twenty percent of the market value of that land on the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section-4. The market value of the land on the said date shall be determined by the competent authority.

Explanation.- "Market value" means the value determined on the basis of methods as prescribed in the Bihar Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Policy 2007 as amended from time to time.

In addition to market value, 30% solatium on the rates as fixed under the provisions of the Bihar Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Policy 2007, shall be paid but wherever the land owner gives consent in writing, the solatium amount shall be 60% in place of 30%.

(3) If the market value determined by the competent authority is not acceptable to either of the parties, an application may be made by the aggrieved party within thirty days to the Court as defined under the Land Acquisition Act, 1894, whose decision shall be final.

10. *Deposit and payment of compensation.*-(1) The amount of compensation determined under section-9 shall be deposited by the State Government or the corporation, as the case may be, with the competent authority within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) If the amount of compensation is not deposited within the time prescribed under sub-section (1), the State Government or the corporation, as the case may be, shall

be liable to pay interest thereon at the rate of nine percent per annum from the date on which the compensation had to be deposited till the date of actual deposit.

(3) As soon as may be after the compensation has been deposited under sub-section (1), the competent authority shall, on behalf of the State Government or the corporation, as the case may be, pay the compensation to the persons entitled thereto.

(4) If any dispute arises as to the apportionment of the compensation or additional compensation or any part thereof, the competent authority shall refer the dispute to the Court as defined under the Land Acquisition Act, 1894 and the decision of the Court thereon shall be final.

11. *Period within which compensation shall be made.*- The competent authority shall pay compensation under section-9 within a period of two years from the date of the publication of the notification under section-3 and if no compensation is paid within that period, the entire proceeding for the acquisition of right of user in land shall lapse.

Explanation.- In computing the period of two years referred to in this section, the period during which any action or proceeding in pursuance of the said declaration is stayed by an order of a court shall be excluded.

12. *Special powers in cases of urgency.*-(1) In cases of urgency, whenever the State Government so directs, the competent authority, though no such award has been made, may, on the expiration of fifteen days from the publication of the notification mentioned in sub-section (1) of section-3, acquire right of user in land needed for laying of such underground pipelines. Such right of user in the land shall thereupon vest absolutely in the State Government, free from all encumbrances:

Provided that the competent authority shall not acquire right of user in any land or part thereof under this sub-section without giving to the occupier thereof at least forty-eight hours notice of its intention so to do, or such longer notice as may be reasonably sufficient to enable such occupier to remove his movable property from such land without unnecessary inconvenience.

(2) In every case under the preceding sub-section, the competent authority shall at the time of taking possession, offer to the persons interested, compensation for the standing crops and trees (if any) on such land and for any other damage caused by such sudden dispossession; and, in case such offer is not accepted, the value of such crops and trees and the amount of such other damage shall be allowed in awarding compensation for the land under the provisions herein contained.

(3) Before taking possession of any land under sub-section (1), the competent authority shall, without prejudice to the provisions of sub-section (2)-

(a) make payment of eighty per centum of the compensation for such land as estimated by him to the person interested and entitled thereto; and

(b) pay to him, unless prevented by one or more of the contingencies mentioned in section 9, and where the competent authority is so prevented, the provisions of section-9, shall apply as they apply to the payment of compensation under that section.

(4) The amount paid or deposited under sub-section (3), shall be taken into account for determining the amount of compensation required to be tendered under section-9 and where the amount so paid or deposited exceeds the compensation awarded by the competent authority under section-9, the excess amount may, unless refunded within three months from the date of competent authority's award, be recovered as an arrear of land revenue.

(5) In the case of any land to which, in the opinion of the State government the provisions of sub-section (1) are applicable, the State Government may direct that the

provisions of section-3 shall not apply, and, if it so directs a declaration may be made under section-4 in respect of the land at any time after the date of the publication of the notification under section-3.

13. *Competent authority to have certain powers of civil court.*- The competent authority shall have for this Act, all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely :-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) recording of evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record from any court or office;
- (e) issuing commission for examination of witnesses.

14. *Protection for action taken in good faith.*- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or any rule or notification made or issued thereunder.

15. *Bar of jurisdiction.*- No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or to try any dispute or to pass any interim injunction in respect of any matter for which the competent authority is empowered under this Act.

16. *Punishment.*-(1) Whosoever wilfully obstructs any person in doing any of the acts authorized under sections-5, 6 or 7 of this Act or wilfully fills up, destroys, damages or displaces any trench or mark made under section-5 or wilfully does anything prohibited under the provision to sub-section (1) of section-8, shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months or fine or with both.

(2) Whosoever wilfully removes, displaces, damages or destroys any underground pipeline laid, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year, but which may extend to three years and shall also be liable to fine.

17. *Power to remove difficulties.*- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provision or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

18. *Power to make rules.*-(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 404-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>